

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2018—माघ 23 शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. 460-वि.यो. 496-नग्रानि-2018.—भोपाल विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन् 1973), सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला भोपाल
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.

अनुसूची

| क्र. | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि उपयोग | अध्याय | विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक | सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक | उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग |
|------|--------------------------|--------------------------------|--------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 | भोपाल वि. यो. 2005. | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक | 4 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा पी.एस. 2 एवं पी. एस. 3 | सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|------|-----|----------------------------------|--|---|
| | | कृषि | 4 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा ए-3 | कंडिका क्र. 4.61 के पैरा ए-3. | सूचना प्रौद्योगिकी*, एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण. |

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म. प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म. प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाती मीणा नायक, संचालक.